

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 34 / 2009
संस्थित दिनांक 16.01.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रु द्ध

एजाज पिता मोबिन एहमद,
उम्र 26 वर्ष, निवासी आइसा नगर
मालेगांव महाराष्ट्र

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा विद्वान ए.डी.पी.ओ. — श्री अकरम मंसूरी।

अभियुक्त द्वारा विद्वान अभिभाषक — श्री विशाल कर्मा।

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 25.9.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 275/2008 के आधार पर दिनांक 24.10.2008 को दिन के करीब 12 बजे ठीकरी मेन रोड जिला सहकारी समिति के सामने अभियोगी सुनील गुप्ता की सोने चांदी की दुकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है से मंगलसुत्र पांच पत्ती वाला 10 सेट करीब 65-70 ग्राम कीमती रुपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र/-) को बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाने के लिये भा.द.सं. की धारा 380 का आरोप लगाया गया है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजु के विरुद्ध भी उक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आरोपी राजु की लगातार अनुपस्थिति के कारण दं.प्र.सं. की धारा 317 (2) के अंतर्गत आरोपी राजु का विचारण पृथक किया गया तथा केवल आरोपी एजाज का निर्णय किया जा रहा है। निर्णय के पूर्व प्रकरण के फरियादी सुनील गुप्ता एवं उसकी पत्नि श्रीमती सविता ने आरोपी एजाज से राजीनामा न्यायालय में पेश किया था, लेकिन अशमनीय प्रकृति का अपराध होने से उक्त राजीनामा निरस्त किया गया।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2008 को फरियादी सुनील ने थाना ठीकरी पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह मेन रोड पिपरी रहता होकर उसके मकान में ही आगे सोने चांदी की ज्वेलर्स की दुकान वैभव के नाम से है आज दिन के करीब 12 बजे वह घर के अंदर खाना खा रहा था तथा उसकी पत्नी सविता दुकान पर थी, उसे आवाज देकर बुलाया और बताया कि दो व्यक्ति दुकान पर आये थे, जिनमें से एक गोरा रंग और लाल रंग की शर्ट टेरीकाट का तथा दूसरा सावला रंग का कमीज भूरा रंग का टेरीकाट का पहने हुए है, दोनों ने उसे

बोला कि उन्हें मुसलमानी जेवर बताने का बोला तो वह उन्हें जेवरात सोने के दिखाये थे उसमें से एक पैण्डल मंगलसुत्र पांच पत्ति वाला 10 सेट सोने का करीब 65-70 ग्राम का निगाह बचाकर अभी चुराकर ले गये हैं, जो डिब्बा चेक करते नहीं मिला उनकी जल्दी तलाश करो तो उसने तत्काल आसपास तलाश की नहीं मिलने पर रिपोर्ट करने आया है। उन दोनों बदमाशों को उसकी पत्नी पहचान सकती है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 275/2008 का दर्ज कर फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उससे पूछताछ की गई तथा उसकी सूचना के आधार पर उसके मकान से चोरी की सम्पत्ति जप्त कर आरोपी और चोरी की सम्पत्ति की पहचान फरियादी और उसकी पत्नी से कराई गई तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04- उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 380 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में प्रवेश कराये जाने पर अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या घटना दिनांक 24.10.2008 को दिन के करीब 12 बजे ठीकरी मेन रोड जिला सहकारी समिति के सामने अभियोगी सुनील गुप्ता की सोने चांदी की दुकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है से मंगलसुत्र पांच पत्ती वाला 10 सेट करीब 65-70 ग्राम कीमती रूपये 40 हजार को बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी हुई थी?
2	क्या उक्त चोरी आरोपी द्वारा की गई थी?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1 पर सकारण निष्कर्ष -

07- उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में सविताबाई गुप्ता (अ.सा.2) का कथन है कि घटना 2 वर्ष पहले दिन के 11-12 बजे की है, उसकी वेभव ज्वेलर्स के नाम से ठीकरी में सोने-चाँदी की दुकान है, घटना वाले दिन वह दुकान पर बैठी थी और उसका पति सुनिल घर के अंदर खाना खाने गया था दुकान पर दो व्यक्ति आये जिन्होंने लेडिस पेंडल दिखाने के लिये कहा था, तो उसने लेडिस पेंडल दिखाये तो उन ने कहा कि मुस्लिम पेंडल चाहिए तो उसने उनको मुस्लिम पेंडल दिखाया तो उन्होंने वह भी लेने से मना कर दिया उसमें से एक ने डिब्बे में हाथ डाल दिया था और उसके बाद वे बिना कुछ लिये दुकान से चले गये उनके जाने के बाद उसने डिब्बे को खाली कर उसमें रखा सामान गिना तो उसमें से सोने का पांच पत्ती वाला सेट कम था तब उसके चिल्लाने पर उसका पति आ गया और दोनों ने उनकी तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले उसके बाद उन लोगों ने थाने पर रिपोर्ट की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाने में रिपोर्ट उसके द्वारा लिखाई गई थी, लेकिन साक्षी ने

स्पष्ट किया है कि वह उसके पति व वह थाने पर गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाने पर गये थे तो थाने वालों ने कहा था कि पहले खोज कर लो फिर रिपोर्ट लिखाना। साक्षी ने पूर्व में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उनकी दुकान से कोई सामान चोरी नहीं गया था अथवा सामान गूम हो गया था। साक्षी ने इंकार किया है कि उन्होंने चोरी की रिपोर्ट झूठी लिखाई है अथवा शाम को जब वे सामान मिला रहे थे, उस समय उनको मालूम पड़ा कि उनका सामान कम है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जैसे ही पता चला तो वह थाने पर रिपोर्ट करने गये थे।

08— सुनिल (अ.सा.1) ने भी अपनी पत्नि श्रीमती सविता गुप्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वैभव ज्वेलर्स के नाम से ठीकरी में उसकी दुकान होना और घटना के समय उसकी पत्नि का दुकान पर होने और उसके खाना खाने के दौरान दो व्यक्तियों द्वारा उसकी दुकान पर आकर पांच पत्ति का सोने का मंगलसुत्र दिखाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी पत्नि ने बताया था कि सोने की डिब्बे में एक व्यक्ति ने हाथ डाल दिया था उसके बाद वे व्यक्ति चले गये थे। उसके बाद उसकी पत्नि ने डिब्बे को देखा तो उसमें 10 सेट सोने का लगभग 70 ग्राम नहीं था, उसकी पत्नि ने उसे तत्काल बाद आवाज लगाई तो वह पीछे वाले कमरे से बाहर आया तो वे लोग नहीं मिले। पुरा घटना क्रम दिन के 12:15 बजे की होकर उसने थाने पर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट घटना के लगभग 6-7 घंटे बाद की थी, पुलिस तलाशी के दौरान दवाना रोड ठीकरी धामनोद की तरफ गये थे। इस साक्षी को परीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उसकी दुकान से सोने के मंगलसुत्र की चोरी नहीं हुई थी।

09— व्ही.एस. कुशवाह (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 24.10.2008 को फरियादी सुनिल गुप्ता ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके आधार पर उसने अपराध क्र. 275/08 धारा 380 भा.द.स. दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी की निशांदाही से नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने नामजद रिपोर्ट नहीं की थी और चोरी गये सामान का बिल भी पेश नहीं किया था। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षियों के कथनों का इस बिन्दू पर कोई खण्डन नहीं हुआ है कि घटना दिनांक 24.10.08 को दिन के 12 बजे फरियादी सुनिल गुप्ता की दुकान से वहा रखे सोने के मंगलसुत्र पांच पत्ति वाला 10 सेट सम्पत्ति चोरी हुई थी। अतः यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुनिल गुप्ता की दुकान से जो सम्पत्ति जो अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है में सोने के मंगलसुत्र के 10 सेट चोरी हुए थे।

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 2 पर सकारण निष्कर्ष —

10— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सविताबाई (अ.सा.2) का कथन है कि वह आरोपी को पहचानती है। उसकी दुकान पर दो व्यक्ति आये थे वे व्यक्ति,

वहीं थे जिन्हें उसने शिनाख्त में पहचाना था, वे दोनों व्यक्ति उसकी दुकान पर लेडिज पैण्डल देखने के लिये आये थे। आरोपी ने कुछ बोले बिना दुकान से चले गये। उसने डिब्बे खोलकर आयटम गिने तो उसमें सोने के पांच पत्ति वाले आयटम क थे। उसने चिल्लाचोट की तब उसके पति आ गये, फिर दोनों ने दुकान छोड़कर आरोपी की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले। उसने धरमपुरी जैल में आरोपी की पहचान की थी, जिसका नाम उसे याद नहीं आ रहा है, किंतु देखकर पहचान सकता है। साक्षी ने पहचान पंचनामा प्रदर्श पी 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति उसकी दुकान पर आये थे उसके चिल्लाने पर चले गये थे और जब वह ओटले पर थी तब उसे शंका हो गई थी कि वे व्यक्ति कुछ चीज लेकर चले गये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाला दिन शुक्रवार था और ठीकरी में बाजार लगा था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब उसने चिल्लाचोट की तब 8-10 व्यक्ति आ गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनमें से किसी व्यक्ति ने उनका सेट ले लिया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सोने चाूदी की दुकान में कोई व्यक्ति अंदर नहीं आया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी दुकान के आसपास से बहुत दूर तक गली नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि शिनाख्त के लिये जैल में जिन लोगों को खड़ा किया था उन लोगों के नाम पुलिस ने नहीं बताये थे।

11— सुनिल गुप्ता (अ.सा.1) का कथन है कि उसकी दुकान से चोरी गया मंगलसुत्र जप्त हुआ था और दो महिने बाद मंगलसुत्र की पहचान थाना ठीकरी पर कराई थी। साक्षी ने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 3 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि शिनाख्ती की कार्यवाही सरपंच ने कराई थी और उस समय कोई पुलिस वाला नहीं था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में आरोपी एजाज की ओर से इस साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

12— शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 02.12.08 को थाना ठीकरी के अपराध क्र. 275/08 की विवेचना के दौरान आरोपी एजाज ने उसे साक्षी रामेश्वर एवं राजाराम के समक्ष यह बताया था कि वैभव श्री ज्वेलर्स से एक पैकेट मंगलसुत्र 5 पत्ती वाला 10 सेट सोने का जो उसके हिस्से में आया था वह उसने अपने मकान में छिपाकर रखा है, चलों चलकर बरामद करा देता है। उसने आरोपी की सूचना के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 का तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने गवाहों को कोर्ट मैदान से बुलाया था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसे न्यायालय से आरोपी से पूछताछ के लिये कोई पुलिस अभिरक्षा नहीं ली थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 05.12.08 को आरोपी की पुलिस अभिरक्षा मिली थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी। संभवतः साक्षी ने उक्त स्वीकारोक्ति भूववश हुई है क्योंकि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि आरोपी एजाज ने उसे अपने हिस्से में आये मंगलसुत्र को अपने मकान में छिपाकर रखना बताया था।

13— एस.आर. चोपड़ा (अ.सा.12) का कथन है कि दिनांक 04.12.08 को थाना ठीकरी के अपराध क्र. 275/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने आरोपी एजाज द्वारा दिनांक 02.12.08 को दिये गये मेमोरेण्डम के आधार पर

आईसा नगर मालेगांव आरोपी के मकान पर जाकर उसकी निशांदेही से पेटी में से एक प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक किये हुए सोने की 5 पत्तियां वजन 6 ग्राम जो मंगलसुत्र की थी आरोपी के पेश करने पर जप्त की थी जो जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 12 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 05.12.08 को थाना ठीकरी पर आरोपी एजाज से पूछताछ की थी तो आरोपी ने मंगलसुत्र उसके मकान की अलमारी में छिपाकर रखना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 का उसने बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने उक्त अपराध की विवेचना प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से की थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस दिन पुलिस रिमाण्ड लेकर आरोपी से पूछताछ की जाये उसी दिन से जप्ती की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी एजाज की औपचारिक गिरफ्तारी धरमपुरी जैल से दिनांक 29.10.08 को प्रोडक्शन वारंट से अंजड न्यायालय में पेश हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत वाहन से ठीकरी से मालेगांव आये तो लगभग 4-5 घंटे का समय लगता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी एजाज का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी एजाज का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 श्री शुभनारायण मिश्रा ने दिनांक 02.12.08 को लिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पुनः आरोपी एजाज से दिनांक 05.12.08 को पूछताछ की थी तो उसने उसे वहीं सूचना दी थी जो उसने प्रदर्श पी 7 में श्री शुभनारायण मिश्रा को दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पंचनामों में आरोपी का मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे थे और उसमें कितने लोग निवास करते थे उसका उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वे लोग बाहर खड़े थे और आरोपी ने अंदर से सामान लाकर जप्त कराया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ घर के अंदर नहीं गया था, इसलिये वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने सामान कहा से लाकर दिया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि एक सिपाही आरोपी के साथ घर के अंदर गया था और उसने बताया था कि आरोपी ने सामान अलमारी से निकालकर दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने सुनिल गुप्ता से चोरी के सामान का पहचान चिन्ह भी नहीं पूछा था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सुनिल और उसकी पत्नि ने चोरी गई सम्पत्ति की पहचान तहसीलदार के सामने की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

14— जगदीश (अ.सा.3), भारतसिंह (अ.सा.4), राजाराम (अ.सा.5), शैलेन्द्र (अ.सा.6) व संतोष (अ.सा.8) ने आरोपी एजाज से उक्त चोरी के संबंध में पुलिस द्वारा उनके सामने पूछताछ करने तथा जप्ती पंचनामे के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त सभी साक्षियों ने आरोपी को पहचानने से इंकार करके अभियोजन के मामले का खण्डन किया है। शैलेन्द्र (अ.सा.6), आशीष (अ.सा.7) ने केवल फरियादी सुनिल गुप्ता को पहचानने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी कटु गोषत कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के सभी सुझाव से इंकार किया है। साक्षी जगदीश (अ.सा.3) ने प्रदर्श पी 6, राजाराम (अ.सा.5) प्रदर्श पी 7, शैलेन्द्र (अ.सा.6) ने प्रदर्श पी 8, 9, 10 एवं 11, आशीष (अ.सा.7) ने प्रदर्श पी 8 से 11, संतोष (अ.सा.8) ने प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आशीष

(अ.सा.7) एवं शैलेन्द्र (अ.सा.6) का यह भी कथन है कि सुनिल गुप्ता की दुकान में दो व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी, चोरी के दो माह बाद पुलिस ने उन्हें थाने पर बुलाया था और वहां दो व्यक्ति की पहचान की थी। आशीष (अ.सा.7) का यह भी कथन है कि उन व्यक्तियों ने वैभव ज्वेलर्स से लगभग 2 माह पूर्व चोरी करना स्वीकार किया था। उक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वे आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहे हैं।

15— जगदीश (अ.सा.3) ने आरोपी एजाज की ओर से किये गये परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने से प्रदर्श पी 6 के पंचनाम पर हस्ताक्षर किये थे। भारत (अ.सा.4) ने स्वीकार किया है कि पुलिस उसे मालेगांव लेकर नहीं गई थी और मालेगांव में उसके सामने कोई सामान जप्त नहीं हुआ था। राजाराम (अ.सा.5) ने भी पुलिस के साथ मालेगांव जाने से इंकार किया है। शैलेन्द्र (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने किसी से कोई पूछताछ नहीं की थी, केवल हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने तो प्रदर्श पी 8 से 11 के पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे तब उसके व आशीष तथा पुलिस वालों के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित नहीं थे। आशीष (अ.सा.7) ने भी यह स्वीकार किया है कि वह पुलिस के साथ नहीं गया था और जब उसने उक्त पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे तब उसके, शैलेन्द्र और पुलिस वालों के अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। संतोष (अ.सा.8) ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के विश्वास पर हस्ताक्षर किये थे और जब उसने पंचनाम पर हस्ताक्षर किये थे तब थाने पर उसके और पुलिस के अतिरिक्त कोई उपस्थित नहीं थे।

16— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अर्जुनसिंह (अ.सा.11) का कथन है कि वर्ष 2009 में वह ग्राम पंचायत पिपरी के सरपंच था, पुलिस थाना ठीकरी के द्वारा अपराध में जप्त 6 जोड़ सोने के मंगलसुत्र पहचान के लिये भेजे थे, उक्त मंगलसुत्र की पहचान सुनिल गुप्ता नाम के व्यक्ति से कराई जानी थी। उसने उक्त व्यक्ति को पंचायत पिपरी में बुलवाया था और उक्त मंगलसुत्र में 10 जोड़ अन्य मंगलसुत्र मिलवाये थे तथा उक्त मंगलसुत्र में से सुनिल गुप्ता ने अपने 6 जोड़ मंगलसुत्र निकालकर पहचाना था तथा उसने पहचान पंचनामा प्रदर्श पी 3 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह 7 वीं तक पढ़ा लिखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि मंगलसुत्र के अलावा उसके द्वारा और किसी वस्तु की पहचान नहीं कराई थी। इस साक्षी से ग्राम पंचायत के लेटर पेड तथा अन्य औपचारिकताओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई है, लेकिन उक्त सम्पूर्ण प्रश्न पहचान की कार्यवाही से सुसंगत नहीं हैं। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

17— आरोपी एजाज के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आरोपी की पहचान घटना के समय चारी करने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं हुई है। यहां तक कि चोरी की सम्पत्ति की पहचान भी नहीं हुई है। आरोपी का मेमोरेण्डम और पंचनाम के सभी साक्षीगण स्पष्ट रूप से पक्ष विरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि साक्षियों ने कोरे पंचनामों पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है और आरोपी के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

18— यह सही है कि आरोपी एजाज का मेमोरेण्डम और पंचनामों के साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन आरोपी एजाज धरमपुरी जेल से लाकर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान उससे इस अपराध की सम्पत्ति के संबंध में पूछताछ करने के संबंध में शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.9) के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं और उक्त साक्षी का स्पष्ट कथन है कि आरोपी ने उसके हिस्से में आये मंगलसुत्र को अपने मकान में छिपाकर रखने और बरामद कराने की बात उसे बताई थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 का बनाया था। साक्षी के उक्त कथन का परीक्षण के दौरान कोई खण्डन नहीं हुआ है और उसी प्रदर्श पी 7 के मेमोरेण्डम के आधार पर एच.आर. चोपड़ा (अ.सा.12) ने आरोपी के निवास स्थान आईसानगर मालेगांव में आरोपी की सूचना के आधार पर एक प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक किये हुए सोने सोने की 5 पत्तियां वजन 6 ग्राम जो मंगलसुत्र की थी आरोपी एजाज के पेश करने पर जप्त करना और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 12 का बनाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं किया गया है। यहां तक कि इस साक्षी का यह भी कथन है कि सुनिल और उसकी पत्नि ने चोरी गई सम्पत्ति की पहचान की है।

19— सविता (अ.सा.2) ने न्यायालय कथन के दौरान उपस्थित आरोपी की पहचान उसकी दुकान में आकर सोने के मंगलसुत्र देखने और उक्त पैण्डल मंगलसुत्र की चोरी करने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है। यहां तक की उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी की पहचान धरमपुरी जेल में की थी सविता (अ.सा.2) के द्वारा आरोपी को धरमपुरी जेल में की गई पहचान को कोई चुनौति नहीं दी गई है। यहां तक कि साक्षी का प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन है कि शिनाख्ती के समय मिलाये गये सभी व्यक्तियों के सिर ढंके गये थे और उसमें से उसने आरोपी को चेहरा देखकर पहचाना था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि शिनाख्ती के लिये ठीकरी पुलिस वाले साथ में गये थे, लेकिन पुलिस वाले जेल के अंदर नहीं गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि शिनाख्त के समय जेल में आरोपी को उसे दिखाया गया था। इस प्रकार आरोपी की शिनाख्त विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप की जाना ही प्रमाणित होता है।

20— जहां तक आरोपी के मेमोरेण्डम और जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्ष विरोधी होने का प्रश्न है वह माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत परमजीतसिंह विरुद्ध स्टेट 2003 (5) एस.सी. 291 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारी के साक्षी को भी सामान्य साक्ष्य की तरह लेने चाहिए तथा ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य का विश्वास नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बाबुलाल विरुद्ध म.प्र. राज्य 2004 (2) जे.एल.जे 425 तथा मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध म.प्र. राज्य (4) एम.पी.एल.जे. 179 भी अवलोकन किये जाने योग्य हैं।

21— इस प्रकार इस मामले में फरियादी सुनिल गुप्ता की पत्नी सविता गुप्ता (अ.सा.2) ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी एजाज की पहचान उसकी दुकान में घटना दिनांक, को दिन के 12 बजे प्रवेश कर सोने का मंगलसुत्र देखने और सोने के डिब्बे में हाथ डालने और सोने के मंगलसुत्र का पैण्डल उसके और उसके

साथी द्वारा चोरी करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं तथा धरमपुरी जेल में भी पहचान के दौरान भी आरोपी की पहचान सोने के मंगलसुत्र के पैण्डल चोरी करने वाले व्यक्ति के रूप में की है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.9) ने आरोपी की सूचना के आधार पर उसके निवास स्थान से चोरी की सम्पत्ति जप्त करने की सूचना देने तथा एस.आर. चोपड़ा (अ.सा.12) ने उक्त चोरी की सम्पत्ति सोने के पांच पत्तियां मंगलसुत्र प्रदर्श पी 12 के अनुसार उसके निवास स्थान से जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं, जिसे सोने के मंगलसुत्र पैण्डल की पहचान सुनिल गुप्ता (अ.सा.1) से अर्जुनसिंह (अ.सा.11) ने करवायी है तो ऐसी स्थिति में संदेह से परे प्रमाणित होता है कि आरोपी एजाज ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर सुनिल गुप्ता की दुकान से उसका आधिपत्य से श्रीमती सविता के सामने सोने के मंगलसुत्र पांच पत्ती वाला 10 सेट करीब 65-70 ग्राम कीमती रुपये 40 हजार को बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की थी जो भा.द.स. की धारा 380 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी एजाज पिता मोबिन एहमद, उम्र 26 वर्ष, निवासी आइसा नगर मालेगांव महाराष्ट्र को भा.द.स. की धारा 380 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

22— चूंकि, अभियुक्त को भादवि की धारा 380 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी ठहराया गया है तथा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय का आलेखन कुछ देर के लिए स्थगित किया गया।

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:-

23— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्त ड्रायवर होकर गरीब ग्रामीण होकर विचारण का लंबे समय से सामना कर रहा है तथा घटना के समय उसकी आयु लगभग 25-26 वर्ष का नवयुवक था, अतः सहानुभूति पूर्वक विचारण किया जाए। उनका यह भी निवेदन है, कि आरोपी एजाज से फरियादीगण ने राजीनामा भी न्यायालय के बाहर कर लिया है।

24— इसके विपरीत ए डी पी ओ ने आरोपी को अधिकतम सजा देने का निवेदन किया है।

25— यह सही है कि आरोपी से फरियादीगण ने राजीनामा न्यायालय में पेश किया है तथा आरोपी ने विचारण का सामना लंबे समय तक किया है एवं विचारण के दौरान आरोपी दिनांक 02.12.2008 से लेकर दिनांक 06.02.2009 तक 67 दिन अभिरक्षा में रहा है। जिसे देखते हुए आरोपी और अधिक कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी एजाज पिता मोबिन एहमद, उम्र 26 वर्ष, निवासी आइसा नगर मालेगांव महाराष्ट्र को भा.द.वि.

की धारा 380 में दोषी ठहराते हुए दो माह के कठोर कारावास तथा रुपये 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। आरोपी द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जाये। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने की दशा में अभियुक्त को एक माह के कठोर कारावास भुगताया जावे।

26— अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

27— अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

28 प्रकरण में आरोपी राजु के विरुद्ध निर्णय होना शेष है। अतः जप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

29— निर्णय की एक प्रति आरोपी को निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.